बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति
समाज कल्याण विभाग

राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु दिशानिर्देश

1. सभी पदो पर नियोजन हेतु उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रावधान निम्नवत होगें–

(i) मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को ही मान्यता दी जायेगी।

(ii) उम्र सीमा –

न्यूनतम उम्र सीमा – इंटर स्तर तक के पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा स्नातक एवं उच्च स्तरीय पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी।

अधिकतम उम्र सीमा – संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा –

- अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष।
- अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष।
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

(समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के मानकों के अनुरूप उपर्युक्त उम्र सीमा परिवर्तनशील होगी।)

- राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देख रेख संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मी जो विज्ञापित पद के विरूद्ध योग्यता रखते हैं, उन्हें आवेदन करने हेतु उक्त संस्थानों में उनके नियोजन के उपरांत किए गए कार्यावधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। उम्र छूट का यह लाभ सिर्फ उसी पद पर नियोजन के विरूद्ध दिया जाएगा जिस पद पर पूर्व नियोजन के दौरान कार्य किया गया है। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

(iii)आरक्षण – नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण के अद्यतन प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगें।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता–

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
1	**Officer-in-Charge (Superintendent)**	Post Graduate Degree in Social Work/Sociology /Psychology/ Child Development /Human Rights Public Administration /Psychiatry/Law/Public Health from a recognized University &	At least 3 years of working experience in Child/Women related programme

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
		Diploma in Computer Application	
2	**Counsellor**	Graduate in Social Work/Sociology/ Psychology/Counselling/Guidance and Counselling from a recognized University. Or PG Diploma in Counselling and Communication	At least 1 year of working experience in School/ institution.
3	**Case Worker/ Probation Officer/ Child Welfare Officer**	Graduate in Social Work/Sociology/LAW from a recognized University.	At least 2 years of working experience in the field of JJ Act, POCSO, Child Labour, Human Trafficking, Drug Abuse, Legal Assistance, Child Marriage
4	**Store Keeper-cum-Accountant**	Graduate in Commerce/Mathematics/Statistics/ Economics degree from a recognized University.	At least 2 years of working experience in accounting work.
5	**House Father/House Mother**	10+2 or equivalent.	At least 2 years of working experience with children in any institution.
6	**Paramedical staff**	Intermediate with Certificate/Diploma course in Para Medical in Nursing Assistance/Medical Record/ Dressing/ANM from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	At least 1 years of working experience in Clinic / Hospital / Institution.
	Special Unit		
7	**Special Educator**	Bachelor degree in Special Education or B.Ed in special education.	At least two years' experience in a school or institution.
8	**A.N.M. (Female)**	Intermediate with Certificate/Diploma course in	At least 1 years of working

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
		Para Medical in Nursing assistance/Medical Record/ Dressing/ ANM or B.Sc Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	experience in Clinic / Hospital / Institution.

(ii) स्नातक का तात्पर्य न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक से एवं स्नात्कोतर का तात्पर्य न्यूनतम दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से है। स्नातक आधारित न्यूनतम योग्यता हेतु अभ्यर्थियों को योग्य तभी माना जायेगा जब उक्त विषय में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री मुख्य विषय के रूप में प्राप्त की गयी हो।

(iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/परिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरण प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्ध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापांक, दिनांक के साथ निर्गत हो।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है उसका सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले कार्यालय से कराया जा सकता है।

(v) नियोजन से पूर्व अथवा बाद में जब कभी भी ज्ञात हो, सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी साथ ही प्रमाण–पत्र निर्गत करने में जारीकर्ता संस्था के किसी पदाधिकारी/कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vi) नियोजन के बाद शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मानदेय के रूप में दी गयी राशि की वसूली की जायेगी।

3. **परिवीक्षा अवधिः**– मानदेय आधारित उपरोक्त सभी संविदा आधारित पदों पर प्रारंभ में 01 वर्ष प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।

4. **चयन प्रक्रियाः**–

I. पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

II. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक मेधासूची 60 अंको की बनायी जायेगी जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक हेतु 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम 02 उच्चतर डिग्री हेतु दिए जायेंगे। उक्त प्रारंभिक मेधासूची से एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक

निर्धारित किये जाते हैं। अंतिम मेधासूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के अंकों को जोडकर 100 अंको के आधार पर बनायी जायेगी। पारा मेडिकल, नर्स, एवं ए0एन0एम0 का प्रारंभिक मेधा सूची निर्धारित करने हेतु अंको की गणना नर्सिंग में डिप्लोमा/डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी।

III. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

IV. एक से अधिक पदों के लिए पात्रता होने पर अलग–अलग आवेदन करना होगा।

V. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

5. नियोजन की शर्ते :–

- मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन समाप्त करने का अधिकार चयन समिति के पास होगा।
- चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन सुनिश्चित करना होगा।

6. नियोजन की अवधि :– मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होगें, जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

- पदों के लिए अर्हता एवं मानदेय वहीं होगा जो मिशन वात्सल्य के अनुदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- इस मार्गदर्शिका के आधार पर राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत नियोजित कर्मी पूर्व से सामान पद पर राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियोजित कर्मी के साथ एक कैडर के माने जाएगे तथा इनका स्थानांतरण/पदस्थापन राज्य स्तर से निर्धारित किया जा सकेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में बाल संरक्षण अथवा अन्य प्रक्षेत्रों से आरोप सिद्ध होने के उपरांत कार्यमुक्त किया गया हो वे इस विज्ञापन के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- राज्य बाल संरक्षण समिति से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार सचिव समाज कल्याण–सह–अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी, होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

29/4/2025

सचिव, समाज कल्याण–सह–
अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।